लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 417
उत्तर देने की तारीखः 19.11.2019

अ.जा. और अ.पि.व. के छात्रों को निःशुल्क प्रशिक्षण

417. श्री संगम लाल गुप्ताः
श्री रामदास तडसः
श्री सी.पी. जोशीः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार अनुसूचित जाति और अ.पि. वर्ग के छात्रों को मुफ्त कोचिंग सुविधा प्रदान कर रही है;
(ख) यदि हां, तो वर्तमान में देश भर में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और पाठ्यक्रम-वार ऐसे कितने प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत हैं;
(ग) क्या सरकार ने उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को राशि आवंटित की है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) और (ख): जी, हां। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा एससी और ओबीसी छात्रों के लिए नि:शुल्क कोचिंग योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों (एससी) और अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) से संबंधित पात्र छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए समर्थ बनाने हेतु कोचिंग के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

इस योजना के तहत देश भर में कोचिंग प्रदान करने के लिए सैंतालीस कोचिंग सेंटरों के साथ तीस संस्थानों का पैनल तैयार किया गया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और पाठ्यक्रम-वार पैनल पर रखे गए संस्थानों की संख्या क्रमश: अनुबंध-क और ख पर दी गई है।

(ग) और (घ) योजना में राज्य-वार निधियों का आबंटन करने का कोई प्रावधान नहीं है। कोचिंग शुल्क और वृत्तिका राशि सीधे क्रमश: संबंधित संस्थानों और छात्रों को जारी की जाती है।

अनुबंध-क

"अ.जा. और अ.पि.व. के छात्रों को निःशुल्क प्रशिक्षण" के बारे में श्री संगम लाल गुप्ता,श्री रामदास तडस और श्री सी. पी. जोशी द्वारा पूछा गया दिनांक 19.11.2019 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 417 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

"अ.जा. और अ.पि.व. के छात्रों को निःशुल्क प्रशिक्षण" संबंधी योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध कोचिंग केंद्रों का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा		
क्रम सं.	**राज्य / संघ राज्य क्षेत्र**	**सूचीबद्ध केंद्रों की संख्या**
1	असम	1
2	बिहार	1
3	चंडीगढ़	2
4	दिल्ली	8
5	गुजरात	3
6	हरियाणा	1
7	जम्मू और कश्मीर	1
8	कर्नाटक	2
9	मध्य प्रदेश	6
10	महाराष्ट्र	5
11	मणिपुर	1
12	मेघालय	1
13	पंजाब	3
14	राजस्थान	3
15	तमिलनाडु	2
16	त्रिपुरा	1
17	उत्तर प्रदेश	2
18	हिमाचल प्रदेश	2
19	ओडिशा	2

* संस्थान, उसी अथवा अलग राज्यों में एक से अधिक केंद्रों के लिए, अनुमोदित किया जा सकता है।

अनुबंध ख

“अ.जा. और अ.पि.व. के छात्रों को निःशुल्क प्रशिक्षण” के बारे में श्री संगम लाल गुप्ता,श्री रामदास तडस और श्री सी. पी. जोशी द्वारा पूछा गया दिनांक 19.11.2019 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 417 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

'एससी और ओबीसी छात्रों को नि:शुल्क कोचिंग' की योजना के तहत सूचीबद्ध कोचिंग सेंटरों का पाठ्यक्रम-वार ब्यौरा।		
क्रम सं.	**राज्य / संघ राज्य क्षेत्र**	**सूचीबद्ध केंद्रों की संख्या**
1	संघ लोक सेवा आयोग	11
2	राज्य लोक सेवा आयोग	6
3	एसएससी	9
4	आरआरबी	4
5	बैंकिंग	12
6	आईआईटी-जेईई	14
7	एआईईईई	5
8	एआईपीएमटी, एनईईटी	13
9	आईईएस	1
10	कैट / एमबीए प्रवेश	4
11	जीआरई / जीमैट (स्नातक प्रबंधन प्रवेश परीक्षा)	3
12	सीए-सीपीटी	6
13	जीएटीई	1

* एक संस्थान के एक केंद्र में दो पाठ्यक्रम अनुमोदित किए जाते हैं।